जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स :+91-612-250 4960, ईमेल :: info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

सतत् जीविकोपार्जन योजना (Phase-II) अंतर्गत मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) मार्गदर्शिका

राज्य सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति,जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की सतत् आजीविका,क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु "सतत् जीविकोपार्जन योजना" की स्वीकृति तीन वर्षों के लिए दिनांक 31 मई, 2018 को दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में योजना अवधि विस्तार अगले तीन वर्षों (2021 से 2024) के लिए की गयी है।

मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी) : जीविका संपोषित संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा नियुक्त होने वाले मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी) चयनित अत्यंत निर्धन तथा संवेदनशील परिवारों को जीविकोपार्जन तथा परिवारों को क्रमिक वृद्धि नीति अंतर्गत ग्रेजुएट कराने में सहयोग करेंगे। मास्टर संसाधन सेवी सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू करने के लिए प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञ होंगे तथा चयनित परिवारों को जीविकोपार्जन बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे।

1. मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी) के चयन:

संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन द्वारा एम.आर.पी (MRP) को 30 से 35 लक्षित परिवारों के लिए चयनित एवं कार्यरत किया जाएगा। संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा मास्टर संसाधन सेवी के साथ रु 100 मात्र के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर एकरारनामा किया जाना है। एकरारनामा में मास्टर संसाधन सेवी द्वारा किए जाने वाले कार्यो की जिम्मेवारी, मानदेय भुगतान की प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उनके कार्य से सेवा समाप्ति का स्पष्ट उल्लेख होगा। मास्टर संसाधन सेवी, संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन का अंशकालिक कर्मी होगा/होगी।

2. नए मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) के चयन हेतु योग्यता:

अनिवार्य योग्यता:

- कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- विज्ञापन जारी होने की तिथि को उसकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- स्मार्ट फोन के साथ इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए।
- किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि (मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच वार्ड सदस्य/ अन्य किसी पद) के पद पर नहीं होना चाहिए।
- व्यापक रूप से (माह में कम से कम **20-25** दिन) क्षेत्र भ्रमण करने में सहज होना चाहिए।

वांछित योग्यता :

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधि के चयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- परिवहन कौशल होना चाहिए। (दो पहिया वाहन/ साइकिल सहित)
- बैंक खाता होना चाहिए।
- ग्रामीण गरीब महिलाओं के प्रति संवेदना के साथ धैर्य रखने का सहजगुण होना चाहिए।

नोट- एम.आर.पी. के पद पर चयनित होने वाले अन्य सामुदायिक कैडर को एम.आर.पी. के पद पर नियुक्ति उपरांत दूसरे पद से त्यागपत्र तथा संबन्धित संकुल संघ/ग्राम संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

3. मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) की चयन प्रक्रिया

क) संकुल संघ/ग्राम संगठन स्तर पर एम.आर.पी. चयन पर निर्णय

- संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन अपनी बैठक में एम०आर०पी० के चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हुये चयन पर निर्णय लेंगे। परियोजना कर्मी द्वारा संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के साथ बैठक में एम.आर.पी. की पात्रता, मापदंड, भूमिका एवं दायित्व के विषय पर प्रारंभिक चर्चा किया जाएगा।

- संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन द्वारा संबन्धित सचिव के नेतृत्व में 2 कार्यालय प्रतिनिधि (OB) सदस्य और 3 प्रतिनिधि निकाय (RGB) सदस्यों सहित 5 सदस्यों की एक चयन समिति का गठन किया जाएगा । इस चयन समिति का दायित्व एम०आर०पी० की चयन प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा ।

ख) एम.आर.पी. चयन हेतु विज्ञापन

संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा सार्वजनिक स्थानों (बी.पी.आई.यू./संकुल संघ/ग्राम संगठन कार्यालय एवं अन्य स्थानों) पर विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रपत्र में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा या क्षेत्र में काम कर रहे संबंधित सामुदायिक संगठनों को सूचित किया जाएगा (आवेदन अनुलग्नक-2 के अनुसार आमंत्रित किया जायेगा) । चयन प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने मे संबन्धित सामुदायिक संगठनों को परियोजना कर्मी द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा । चयन प्रक्रिया से संबन्धित सूचनाओं को संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।

ग) चयन प्रक्रिया की समय-सारणी

क्रम संख्या	शीर्ष	समय सीमा	जिम्मेवारी
01	उम्मीदवार द्वारा संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जाना (हाथो-हाथ या डाक के माध्यम से)	**15 दिनों के भीतर** (विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से)	संबन्धित संकुल संघ /नोडल ग्राम संठन
02	संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन द्वारा अर्हता के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन	**03 दिनों के भीतर** (आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से)	
	प्रकाशित सूची से असंतुष्ट आवेदन कर्ता द्वारा संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के समक्ष आपत्ति दर्ज किया जाना	**02 दिनों के भीतर** (उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन से)	
	असंतुष्ट उम्मीदवारों द्वारा किए गए आपत्ति का संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा समाधान	**02 दिनों के भीतर**	
03	लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन	**04 दिनों के भीतर** (उम्मीदवारों की सूची निर्माण से)	
04	चयनित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन	**02 दिनों के भीतर** (साक्षात्कार की तारीख से)	
	कुल समय सीमा	**28 कार्य दिवस**	

घ) विस्तुत चयन प्रक्रिया

क्रम संख्या	कार्य	जाँच सूची (Check list)	जिम्मेवारी
01	**लिखित परीक्षा का आयोजन**	• प्राप्त आवेदनों को अर्हता के निर्धारित मापदंडों के आधार पर सूची निर्माण • सूची में उल्लेखित उम्मीदवारों को परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना देना • उम्मीदवारों की सूची का संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन • उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन	संबन्धित संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन
02	**साक्षात्कार का आयोजन**	• लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन • साक्षात्कार का आयोजन	

03	**चयनित उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन**	• लिखित एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार की सूची का प्रकाशन • चयनित उम्मीदवार के बाद सूची में आने वाले 2 अन्य उम्मीदवारों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन (प्रतीक्षा सूची की वैधता 6 महीने की होगी)	

नोट 1 – चयन प्रक्रिया के दौरान प्रखंड परियोजना प्रबंधक, संकुल संघ प्रबन्धक तथा क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन को सहायता प्रदान की जायेगी तथा चयन की प्रक्रिया से अवगत कराया जायेगा। चयन प्रक्रिया में अन्य संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

नोट 2-चयन प्रक्रिया से सहमत नहीं होने वाले उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति किए जाने की स्थिति में संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन द्वारा गठित चयन समिति के सदस्यों द्वारा आपत्ति के विभिन्न बिन्दुओं पर जांच की जाएगी, इस कार्य में संबन्धित बी.पी.एम./ क्षेत्रीय समन्वयक संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करेंगे। जांच प्रतिवेदन संबन्धित संकुल संघ/ग्राम संगठन के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए इसकी एक प्रति संबन्धित बी.पी.आई.यू. को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

उम्मीदवारों के चयन के दौरान ध्यान देने योग्य अन्य बातें

1. चयन प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधि को वरीयता दी जाएगी ।
2. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अलावा जो उम्मीदवार मोबाइल एप्लिकेशन, जीविका परियोजना अथवा सामुदायिक संगठनों की कार्य प्रणाली की जानकारी और उद्यम विकास की सामान्य समझ में दक्षता प्रदर्शित करते हैं तो उन्हे वरीयता दी जाएगी।
3. चयन समिति चयनित उम्मीदवारों की सूची को संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन के निदेशक मंडल अथवा प्रतिनिधि निकाय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद चयनित उम्मीदवार को उसके चयन की लिखित सूचना देनी होगी। एम०आर०पी० के अंतिम रूप से चयन के विषय में संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन के निदेशक मंडल / प्रतिनिधि निकाय निर्णय लेगा।

4 . एम०आर०पी० का कर्तव्य एवं जिम्मेवारियाँ

1. लक्षित परिवारों का चयन	• अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान • चयनित परिवार की सूची निर्माण करने में संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन को अपेक्षित सहयोग • ग्राम संगठन एवं बूक कीपर के सहयोग से चयनित परिवार की सूची निर्माण सुनिश्चित करना
2. परिवारों का क्षमतावर्धन	• परिवारों का गृह भ्रमण (Household visit) • जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन • क्षमतावर्धन करना तथा विभिन्न विषयगत प्रशिक्षण प्रदान करना_ • चयनित परिवारों के साथ समूह बैठक (Group meeting) करना
3. परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश में सहयोग	• परिवारों को बैंक बचत खाता खुलवाना एवं आधार के साथ जुड़ाव करवाना • विशेष निवेश निधि (SIF) का आवेदन तैयार करना • ग्राम संगठन के सहयोग से परिवारों को विशेष निवेश निधि (SIF) उपलब्ध करवाना • परिवारों के लिए उपयुक्त आजीविका गतिविधि हेतु बाजार सर्वेक्षण करना • परिवारों का सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो-प्लान) तैयार करना • सूक्ष्म योजनाओं (माइक्रो-प्लान) की सिफारिश करने में ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करना • ग्राम संगठन के सहयोग से परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि (LGAF) उपलब्ध करवाना • उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद करने में ग्राम संगठन तथा लक्षित परिवारों को सहयोग करना • आजीविका/उद्यम गतिविधियों की स्थापना में ग्राम संगठन तथा लक्षित परिवारों को सहयोग करना • उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) एकत्रित करके बी.पी.आई.यू. मे जमा करना

4. सामुदायिक संगठनों से जुड़ाव	• स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव • स्वयं सहायता समूह में नियमित रूप से भाग लेने एवं बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना • संबन्धित ग्राम संगठन से खाद्य सुरक्षा निधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना
5. परिवारों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव	• जन वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ाव • बीमा योजनाओं से जुड़ाव • आयुष्मान भारत योजना से जुड़ाव • लक्षित परिवार की योग्यता के अनुसार से पेंशन योजना से जुड़ाव • लक्षित परिवार के बच्चों का टीकाकारण करवाने में सहयोग प्रदान करना • लक्षित परिवार के विद्यालय जाने वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा न्यूनतम 75% उपस्थिति सुनिश्चित करवाना • सुरक्षित आवास/ आवास योजना से जुड़ाव में सहयोग • परिवारों के योग्यता अनुसार अन्य योजनाओं से जुड़ाव
6. **लेखांकन एवं एम.आई.एस. प्रविष्टि**	• दीदी की पुस्तिका (Household Register) का लेखांकन • स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) का लेखांकन • एम.आर.पी. रजिस्टर (MRP Register) का लेखांकन • साप्ताहिक गृह भ्रमण प्रतिवेदन (Weekly HH Visit Report) का प्रविष्टि • मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Monthly Progress Report) का प्रविष्टि • अन्य आवश्यक फॉर्म (एम.आर.पी. प्रोफ़ाइल, लाभार्थी सूक्षम नियोजन इत्यादि) का एम.आई.एस में प्रविष्टि
6. क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण)	• **अनिवार्य मानदंडों को प्राप्त करना** चयनित परिवार की मासिक आमदनी निर्धारित बेस-लाइन आय से कम-से कम 1000 रुपए अधिक प्रति परिवार, परिवार को हस्तांतरित परिसंपत्ति में 50 % की अतिरिक्त वृद्धि, परिवार द्वारा अपने बचत खाते में न्यूनतम 250/- रुपए जमा करना (तीन महीने के अंतराल पर) और परिवार के सभी सदस्यों के लिए दो समय का सम्पूर्ण भोजन (पौस्टिक आहार) • **वैकल्पिक मानदंडों को प्राप्त करना** सुरक्षित आवास, शिक्षा (विद्यालय में उपस्थिति), बच्चों का **टीकाकरण**, सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से जुड़ाव, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल

5. एम.आर.पी. के कार्यों की समीक्षा

क्रम	**समीक्षा बैठक का प्रकार**	**उपस्थिति**	**जिम्मेवारी**
01	साप्ताहिक समीक्षा बैठक (Weekly review of MRP)	संबन्धित एम.आर.पी.,क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य संबन्धित कर्मी तथा बी.आर.पी.	क्षेत्रीय समन्वयक अथवा अन्य संबन्धित कर्मी तथा बी.आर.पी.
02	पाक्षिक बैठक (Fortnightly review of MRP)	संबन्धित एम.आर.पी., बी.आर.पी., क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य संबन्धित कर्मी तथा प्रखंड परियोजना प्रबन्धक	प्रखंड परियोजना प्रबन्धक

बी.पी.आई.यू. स्तर पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में 15 दिनों के अंतराल पर एम.आर.पी के कार्यो का अनुश्रवण एवं समीक्षा बैठक पर होने वाले खर्च को गैर-आवासीय प्रशिक्षण के नियमों के अनुरूप एन.आर.एल.एम./बी.टी.डी.पी./ एन.आर.ई.टी.पी. के क्षमता वर्धन (CB) शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित तथा समायोजित किया जाएगा।

6. मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) का कार्यकाल

<u>एम.आर.पी की परिवीक्षा अवधि</u>

एम०आर०पी० के कार्यकाल के शुरुआत के तीन महीने परिवीक्षा अवधि (Probation Period) होगी। संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन एम०आर०पी० द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान संपादित किए गए कार्य की गहन समीक्षा और मूल्यांकन करेंगे।

<u>परिवीक्षा अवधि की संपुष्टि</u>

संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्त होते ही एम.आर.पी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस कार्य में प्रखण्ड इकाई में कार्यरत परियोजना कर्मी संबन्धित संकुल संघ/नोडल ग्राम को सहयोग प्रदान करेंगे । **एम.आर.पी के कार्यों को संतोषजनक पाने पर संपुष्टि की जाएगी |**

<u>परिवीक्षा अवधि के दौरान एम.आर.पी का मानदेय भुगतान</u>

एम.आर.पी की परिवीक्षा (Probation period) अवधि की शुरुआत प्रतिभागी के द्वारा कार्य शुरू करते ही आरम्भ हो जाएगी । परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान एम०आर०पी० का मानदेय भुगतान एम.आई.एस. में एम.आर.पी. प्रोफाइल प्रविष्टि के बाद भुगतान मैट्रिक्स के अनुसार मासिक रूप से संबन्धित बी.पी.आई.यू. द्वारा किया जाएगा ।

7. मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) का मानदेय भुगतान मेट्रिक्स

अवधि	मासिक मानदेय (रुपए में)	संचार भत्ता (इंटरनेट हेतु)	प्रोत्साहन राशि (एस.जे.वाई. मोबाइल एप से आवंटित परिवारों का प्रति माह मासिक प्रतिवेदन भरने हेतु)	कुल अधिक्तम मानदेय
(0-3) माह	2000/-	500/- रुपये/ प्रति माह	2500/- रुपये/ प्रति माह	5000
(3-12) माह	3000/-			6000
(13-24) माह	4000/-			7000
25 माह या उससे अधिक	4500/-			7500

एम.आर.पी (MRP) द्वारा सभी परिवारों का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह (1 से 7 तारीख के बीच) में एस.जे.वाई. अंतर्गत लिखी जा रही लेखांकन पुस्तिका (दैनिक, स्टॉक एवं एम.आर.पी. रजिस्टर) के इस्तेमाल से भरा जाएगा । एम.आर.पी. का मानदेय का भुगतान एस.जे.वाई. एम.आई.एस. के आधार पर किया जाएगा ।

मानदेय भुगतान किया जाएगा यदि:

1) एम.आर.पी. प्रोफाइल एम.आई.एस. में दर्ज हो चूका है ।
2) एम.आर.पी. को लक्षित परिवारों का आवंटन किया जा चूका है एवं साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार गृह भ्रमण एवं साप्ताहिक समूह बैठक की कार्य योजना निर्धारित की जा चुका है ।
3) एम.आर.पी. को आवंटित परिवारों का प्रोफाइल एम.आई.एस. में दर्ज किया जा चूका है ।
4) एम.आर.पी. के द्वारा स्वयं के बैंक बचत पासबूक की प्रति संकुल संघ एवं बी.पी.आई.यू. में जमा किया जा चुका है ।

अन्य लाभ (Other Benefits)- बी.पी.आई.यू./संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन द्वारा अगर एम.आर.पी को अपने आवंटित कार्य क्षेत्र (आवंटित परिवार/पंचायत) के अलावा किसी अन्य क्षेत्र (पंचायत/प्रखंड/जिला) में सतत् जीविकोपार्जन योजना के कार्यों के लिए भेजा जाता है अथवा बैठक/प्रशिक्षण /उन्मुखीकरण में बुलाया जाता है तो एम.आर.पी द्वारा आने-जाने में किए गए वास्तविक यातायात खर्च देय होगा ।

एम.आर.पी. द्वारा अगर किसी अति आवश्यक कारणवश (बीमारी हेतु) 15 दिनों से अधिक की छुट्टी पर जाने का आग्रह किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा छुट्टी की स्वीकृति दी जाएगी (अधिक्तम दो माह तक) एवं संबन्धित बी.पी.आई.यू. को सूचित किया जाएगा । छुट्टी की स्वीकृति मिलने के बाद योजना अंतर्गत चयनित परिवारों को नियमित सहयोग मिलती रहे इसलिए संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा संबन्धित एम.आर.पी. का कार्य तत्काल किसी अन्य एक अथवा दो एम.आर.पी. को समानुपातिक रूप से सौप दी जाएगी जिसकी सूचना प्रखंड कार्यालय में बी.पी.एम. को दी जाएगी । छुट्टी के दौरान एम.आर.पी. को कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा । अतिरिक्त परिवारों को सहयोग एवं गृह भ्रमण का कार्य करने वाले दूसरे एम.आर.पी को उनके नियत मानदेय के अतिरिक्त मानदेय भुगतान मैट्रिक्स के अनुसार लक्षित परिवारों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन भरने हेतु दिये जाने वाला प्रोत्साहन राशि समानुपातिक रूप से दिया जाएगा ।

मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी.) का मानदेय भुगतान के लिए समय-सीमा

क्रम संख्या	गतिविधि	सत्यापन के माध्यम	समय-सीमा	जिम्मेवारी
1	गृह भ्रमण और एम.आर.पी. द्वारा की जाने वाली दैनिक गतिविधि	मोबाइल एप्लिकेशन में एम.आर.पी. द्वारा दैनिक गतिविधि की प्रविष्टि	एम.आर.पी. द्वारा दैनिक रूप से	क्षेत्रीय समन्वयक/समुदायिक समन्वयक एवं बी.आर.पी. द्वारा साप्ताहिक समीक्षा

2	लक्षित परिवारों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन	मोबाइल एप्लिकेशन में एम.आर.पी. द्वारा मासिक प्रतिवेदन की प्रविष्टि	प्रत्येक परिवारों का प्रति माह (माह के प्रथम सप्ताह में)	क्षेत्रीय समन्वयक/ समुदायिक समन्वयक एवं बी.आर.पी. द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा पाक्षिक समीक्षा
3	समुदायिक संगठन द्वारा एम.आर.पी. मानदेय भुगतान हेतु अनुमोदन	एम.आई.एस.से डाउनलोड किया गया मासिक गतिविधि रिपोर्ट	प्रत्येक माह के 08 तारीख तक	संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन (संबन्धित परियोजना कर्मी के सहयोग से)
4	एम.आर.पी. का मासिक मानदेय भुगतान	मानदेय भुगतान प्रपत्र	प्रत्येक माह के 10 तारीख तक	प्रखंड परियोजना प्रबंधक

8. मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान

एम.आर.पी द्वारा किए गए कार्यो (गृह भ्रमण, साप्ताहिक बैठक एवं नियमित प्रशिक्षण) से सहयोग प्राप्त कर चयनित अत्यंत निर्धन परिवार क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (Graduation approach) के अंतर्गत यदि निर्धारित निम्न लक्ष्यों को हासिल करता/करती है तो एम.आर.पी. को प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा।

क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

परिवार की आमदनी - *प्रति परिवार मासिक रूप से निर्धारित बेस-लाइन आय से कम-से कम 1000 रुपए अधिक*
चयनित परिवार को हस्तांतरित परिसंपत्ति में वृद्धि - *50 % की अतिरिक्त वृद्धि*
खाद्य सुरक्षा -*"परिवार के सभी सदस्यों के लिए दो समय का सम्पूर्ण भोजन (पौस्टिक आहार)*
बचत - *लक्षित परिवार द्वारा अपने बचत खाते में न्यूनतम 250/- रुपए जमा करना (तीन महीने के अंतराल पर)*
सुरक्षित आवास - *गर्मी/ वर्षा/ ठंड / आँधी इत्यादि से बचाव हेतु अपना सुरक्षित आवास*
शिक्षा (विद्यालय में उपस्थिति) - *परिवार के सभी विद्यालय जाने वाले बच्चो का न्यूनतम 75% उपस्थिति*
सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से जुड़ाव - *लक्षित परिवार की योग्यता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के योजनाओं से जुड़ाव (पेंशन ,बीमा इत्यादि)*
शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल - *शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता*

उपरोक्त सभी लक्ष्यो की प्राप्ति के बाद एम.आर.पी. को प्रोत्साहन राशि स्वरूप प्रति परिवार 500 /- रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि प्रखण्ड परियोजना प्रबन्धक के अनुशंसा एवं लाभार्थी को प्रमाणपत्र दिये जाने के बाद दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि एमआरपी को लक्षित परिवारों के समुचित विकास कराने हेतु योजना अवधि में एक बार दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि पर हुये व्यय का समायोजन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत क्षमता वर्धन (CB) शीर्ष के अतर्गत किया जाएगा।

9. एम.आर.पी. एवं संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के बीच एकरारनामा

परिवीक्षा (Probation period) अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होते ही संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा एम.आर.पी. के साथ 11 महीने का अनुबंध किया जाएगा। संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन द्वारा एम.आर.पी के द्वारा संपादित किए गए संतोषजनक कार्य के आधार पर नियमित रूप से अनुबंध को 11 माह के लिए विस्तारित किया जा सकता है। संकुल संघ/ नोडल ग्राम संगठन के निदेशक मंडल / प्रतिनिधि निकाय की कार्यवाही पुस्तिका में संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन और एम.आर.पी. और के बीच हुये एकरारनामे का उल्लेख होना चाहिए।

नोट- सतत् जीविकोपार्जन योजना (Phase-II) अंतर्गत मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) मार्गदर्शिका अंतर्गत एम.आर.पी. मानदेय में हुए बदलाव के कारण कार्यरत एम.आर.पी. तथा संकुल संघ/नोडल संगठन के बीच पूर्व में किए गए एकरारनामा को पुनः नए सिरे से करने की आवश्यकता है। इसे अति आवश्यक कार्य समझते हुये संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा बी.पी.आई.यू. के कर्मियों के सहयोग से दिनांक 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाए। एम.आर.पी को मासिक मानदेय वैध एकरारनामा होने के उपरांत ही दिया जाएगा।

10. एम०आर०पी०की सेवा समाप्ति

संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन निम्नलिखित आधार पर एक महीने के नोटिस के साथ एम०आर०पी० की सेवा को समाप्त किया जा सकता है :-

1. वह सामुदायिक संगठन एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना द्वारा आवंटित कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है ।
2. एम०आर०पी० का कार्य असंतोषजनक है और लगातार दो माह से लाभार्थी प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. पर प्रविष्टि नहीं कर पा रहा/रही है ।
3. उसने लगातार दो महीनों से आवंटित घरों में 50% से भी कम परिवारों का गृह भ्रमण किया है ।
4. वह लगातार 15 दिनों से अधिक समय से बी.पी.आई.यू./संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन को बिना सूचित किए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं अथवा 2 महीनों से अधिक समय से अधिकृत रूप से अनुपस्थित है ।
5. वह किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि (मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच वार्ड सदस्य/अन्य पद) के पद पर चयनित है ।
6. **यदि एम.आर.पी. वित्तीय अनियमितता में शामिल होना साबित होता/होती हैं तो बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी ।**
7. **यदि एम.आर.पी. किसी अवैध गतिविधि में लिप्त होना साबित होता/होती हैं तो बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी ।**
8. वह किसी दो कैडर पद पर लाभ ले रहा/रही है ।
9. सतत् जीविकोपार्जन योजना की योजना अवधि समाप्त होते ही एम.आर.पी. की सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।

संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन एम०आर०पी० की सेवा समाप्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और स्पष्टीकरण हेतु 15 दिन की अवधि प्रदान करेगा । यदि वह उचित जवाब नहीं दे पाता है या उत्तर सन्तोषजनक नहीं हैं, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । एम०आर०पी० की सेवा समाप्त करने का कारण सीएलएफ / नोडल ग्राम संगठन बैठक की कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए और एम०आर०पी० को सूचित कर दिया जाना चाहिए । नोटिस अवधि के मानदेय का भुगतान मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा ।

एम०आर०पी० को पूरा मानदेय भुगतान परियोजना के तरफ से प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बी.पी.आई.यू.) द्वारा किया जायेगा, इस हेतु एम.आर.पी. चयन के बाद संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा आग्रह पत्र संबन्धित बी.पी.आई.यू. को सुपुर्द किया जाएगा । संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के अनुशंसा उपरांत एम०आर०पी० को मानदेय भुगतान किया जाएगा । यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा ।

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह-राज्य मिशन निदेशक

संलग्नक :
अनुलग्नक 1 : एम०आर०पी० के चयन हेतु विज्ञापन का प्रारूप
अनुलग्नक 2 : एम०आर०पी० के चयन हेतु आवेदन का प्रारूप
अनुलग्नक 3 : चयनित एम०आर०पी० की जानकारी का प्रारूप
अनुलग्नक 4 : संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन एवं एम०आर०पी० के बीच एकरारनामा का प्रारूप

प्रतिलिपि:

1. All DPMs/ FMs/ Manager-ICBs/ TOs/ BPMs.
2. OSD/ Director/ CFO/ AO/PS/ PO/ PCs/ SPMs/ SFMs/ PMs/ AFMs.
3. IT Section & Concerned File.

अनुलग्नक 1: एम०आर०पी०चयन हेतु विज्ञापन का प्रारूप

<u>मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०)</u>

जीविका परियोजना में सामुदायिक सेवी तथा क्षेत्रीय कर्मियों को सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू करने के लिए मास्टर रिसोर्स पर्सन के रूप में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, जो अत्यंत निर्धन तथा संवेदनशील परिवारों को लक्षित करेंगे तथा सघन प्रशिक्षण लेकर योजना के लिए प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञ होंगे और इन परिवारों को उनसे मिलकर सहायता उपलब्ध करायेंगे।

<u>मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) का संस्थागत स्थिति</u>

एम.आर.पी का सी.एल.एफ. / नोडल ग्राम संगठन से औपचारिक एकरारनामा होगा जिसमें उनके कार्य एवं जिम्मेदारी, भुगतान की प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली तथा उनके निष्कासन का स्पष्ट उल्लेख होगा। वह सी.एल.एफ / नोडल ग्राम संगठन का अंशकालिक कर्मी होगा / होगी, जिसे आवश्यकतानुसार तथा सम्बंधित कार्यकारिणी समिति के दिशा निर्देश पर गहन क्षेत्र भ्रमण तथा सीएलएफ एवं ग्राम संगठन के कार्यालयों का दौरा करना पड़ेगा। प्रत्येक 30-35 परिवारों पर एक एम०आर०पी० होगा जिसका चुनाव चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

<u>मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) के चयन हेतु आवश्यक योग्यता</u>

<u>अनिवार्य योग्यता</u>:

- कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- विज्ञापन जारी होने की तिथि को उसकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- स्मार्ट फोन के साथ इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए।
- किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि (मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच वार्ड सदस्य/ अन्य किसी पद) के पद पर नहीं होना चाहिए।
- व्यापक रूप से (माह में कम से कम 20-25 दिन) क्षेत्र भ्रमण करने में सहज होना चाहिए।

<u>वांक्षित योग्यता</u> :

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधि के चयन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
- परिवहन कौशल होना चाहिए। (दो पहिया वाहन/ साइकिल सहित)
- बैंक खाता होना चाहिए।
- ग्रामीण गरीब महिलाओं के प्रति संवेदना के साथ धैर्य रखने का सहजगुण होना चाहिए।

<u>एम०आर०पी० का कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां</u>

- सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान और उनकी सूची पर सी.एल.एफ. / नोडल ग्राम संगठन के अनुमोदन में सहायता प्रदान करना।
- अत्यंत गरीब परिवारों को दैनिक और साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- लक्षित परिवारों का बचत बैंक खाता खोलना और आधार के साथ जुडाव को सुनिश्चित करना।
- लक्षित परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत विशेष निवेश निधि प्राप्त करने के लिए ग्राम संगठन के द्वारा अनुमोदन में सहायता प्रदान करना।
- जीविकोपार्जन निवेश निधि 1/2/3 किश्त के लिए आजीविका गतिविधियों और वित्त पोषण के चयन के लिए अत्यंत गरीब परिवारों का सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो-प्लान) करना।
- बी.पी.आई.यू. को सूक्ष्म योजनाओं (माइक्रो-प्लान) की सिफारिश करने और उसे जमा करने में ग्राम संगठन को सहयोग प्रदान करना।
- चयनित परिवारों हेतु चलाये जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा करने और जीविकोपार्जन अंतराल राशि (अधिकतम 7 महीने तक) 1000 रुपये / माह के भुगतान में ग्राम संगठन को सहायता प्रदान करना।

- आजीविका गतिविधियों के चयन केलिए बाजार सर्वेक्षण और उत्पादक परिसंपत्तियों की खरीद करने में ग्राम संगठन को सहायता प्रदान करना।
- उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और आजीविका / उद्यम गतिविधियों की स्थापना में ग्राम संगठन को सहायता प्रदान करना।
- चयनित आजीविका / उद्यम गतिविधि, के संचालन हेतु सामुदायिक कार्यकर्ताओं और जीविका सामुदायिक आधारित संस्थाओं के स्तर पर अत्यंत गरीब परिवारों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का संचालन करना।
- सरकारी सेवाओं और अधिकारों तक पहुंच स्थापित करने में चयनित परिवारों को सहायता प्रदान करना।
- चयनित परिवार को मौजूदा जीविका स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठन के साथ सम्बंधित करने में सहायता प्रदान करना।
- घरेलू स्तर पर नियमित बचत हेतु चयनित परिवार को प्रोत्साहित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilisation Certificate) एकत्रित करके BPIU में जमा कराना।
- चयनित परिवारों को नियमित बैठक करने और सम्बंधित कार्यों में सहायता करने एवं ग्राम संगठन और बी.पी.आई.यू. में मासिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय जमा करने में सहायता प्रदान करना।
- एम.आई.एस. में कार्य प्रगति का ससमय अद्यतन करना।
- सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित संकुल संघ / नोडलग्राम संगठन / बी.पी.आई.यू. द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

इच्छुक उम्मीदवार जो उपरोक्त योग्यता एवं मापदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें विज्ञापन के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर, निर्धारित प्रारूप में हाथो-हाथ, कूरियर या डाक के माध्यम से संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन, (____________________________) को अपना आवेदन जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) का मानदेय:

अवधि	मासिक मानदेय (रुपए में)	संचार भत्ता (इंटरनेट हेतु)	प्रोत्साहन राशि (एस.जे.वाई. मोबाइल एप से आवंटित परिवारों का प्रति माह मासिक प्रतिवेदन भरने हेतु)	कूल अधिक्तम मानदेय
(0-3) माह	2000/-	500/- रुपये/ प्रति माह	2500/- रुपये/ प्रति माह	5000
(3-12) माह	3000/-			6000
(13-24) माह	4000/-			7000
(25 माह या उससे अधिक	4500/-			7500

हस्ताक्षर

(___________________________नोडल ग्राम संगठन/संकुल संघ_____________________________)

अनुलग्नक- 2 मास्टर संसाधन सेवी (एम०आर०पी०) हेतु आवेदन का प्रारूप

आवेदक का नाम : ....

पिता / माता / पति का नाम : ....

जन्मतिथि : ....

मोबाइल न० : ....

आधार संख्या : ....

लिंग : ....

जाति श्रेणी : ....

वाहन का विवरण (अगर हो)

साईकिल : हां / नहीं

मोटरसाईकिल : हां / नहीं

ड्राइविंग लाईसेंस : हां / नहीं

अगर हां तो ड्राइविंग लाईसेंस संख्या:.............................

पत्राचार हेतु पता :-

मकान संख्या / सड़क :

शहर / गाँव :

राज्य :

पिन कोड :

स्थायी पता:-

मकान संख्या / सड़क :

शहर / गाँव :

राज्य :

पिन कोड :

शैक्षणिक विवरण-

क्र०सं०	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड / विश्वविधालय	पास करने का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत

कार्य अनुभव का विवरण-

संस्था का नाम	पद	अनुभव का क्षेत्र	मुख्य उपलावधियाँ	कार्य अनुभव की अवधि (माह में)

घोषणा:

1. मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना मेरे जानकारी के अनुसार पूर्णतया सच है।
2. मैं निर्वाचित सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं हूं।
3. मैं महीने में 25 दिनों के लिए क्षेत्र भ्रमण एवं यात्रा करने के लिए तैयार हूँ।
4. मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना स्मार्ट फोन है।
5. मेरे द्वारा भविष्य में जीविका अथवा संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के समक्ष नियमित नौकरी/नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक 3 : चयनित एम०आर०पी० की जानकारी का प्रारूप

सेवा में
संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन / बी०पी०आइ०यु० का नाम_______________________
जिला का नाम : ______________________________

विषय: चयनित एम०आर०पी० की जानकारी

एम०आर०पी० का व्यक्तिगत परिचय			
एम०आर०पी०का नाम			
लिंग		जन्म तिथि	
वैवाहिक स्थिति		जाति श्रेणी	
पिता / पति का नाम			
आधार कार्ड संख्या			
क्या चयनित एम०आर०पी० किसी भी स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हैं ? यदि हां तो समूह और गांव का नाम			
एम०आर०पी० का पता मोबाइल / फ़ोन न०			
योगदान की तिथि			
बैंक खाता विवरण / स्थिति			
शैक्षणिक योग्यता			
आवंटित पंचायत का नाम			

संकुल संघ / ग्राम संगठन का नाम :

हस्ताक्षर :-		
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

सतत् जीविकोपार्जन योजना
एम.आर.पी. के नियुक्ति संबन्धित प्रपत्र
(CLF / Nodal VO to BPIU)

सेवा में,
प्रखंड परियोजना प्रबन्धक,
प्रखंड-
जिला-

विषय : सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत एम.आर.पी. की नियुक्ति एवं मानदेय के संबंध में

महाशय,

हमारे .... संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन,

ग्राम-............................... पंचायत-..,प्रखंड-.......................................
द्वारा

सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु योजना के मापदण्डों के अनुसार निम्नलिखित एम.आर.पी. की नियुक्ति की गयी है ।

क्रम संख्या	एम.आर.पी. का नाम	चयन की तिथि	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	आवंटित पंचायत का नाम	आवंटित लक्षित परिवारों की संख्या

आपसे आग्रह है की उपरोक्त एम.आर.पी. की कार्य समीक्षा एवं इनके द्वारा संपादित किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर एम.आर.पी. पॉलिसी एवं भुगतान मापदंडो के अनुरूप मासिक मानदेय का भुगतान करने की कृपा करे ।

दिनांक

हस्ताक्षर– **सचिव / अध्यक्ष**
मुहर"ग्राम संगठन/संकुल संघ"

अनुलग्नक 4: संकुल संघ / नोडल ग्राम संगठन एवं चयनित मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी) के बीच एकरारनामा

1. एम.आर.पी. का चयन जीविका संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है अतः संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन का अंशकालिक कर्मी होगा/होगी ।

2. मास्टर संसाधन सेवी का शुरुआत के 3 माह की कार्य अवधि, परिवीक्षा अवधि (Probation Period) होती है । परिवीक्षा अवधि के दौरान एम.आर.पी. का कार्य संतोषजनक होने पर संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के साथ 11 महीने का एकरारनामा किया जाना है । एम.आर.पी द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किए गए कार्य के आधार पर संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के द्वारा अगले 11 माह के लिए अनुबंध विस्तारित किया जा सकता है ।

3. एम.आर.पी को .... बी.पी.आई.यू./... संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति के दिशा निर्देश पर गहन क्षेत्र भ्रमण तथा आवश्यकता अनुसार बी.पी.आई.यू / सी.एल.एफ. एवं ग्राम संगठन के कार्यालयों का दौरा करना पड़ेगा ।

4. श्री/श्रीमती.. को निर्गत लक्षित परिवारों का नियमित गृह भ्रमण करने, लक्षित परिवारों का साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बैठक कराने, कार्य प्रगति से संबन्धित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, लेखांकन पुस्तिकाओं एवं एम.आई.एस को अद्यतन करने, खाता-बही का हिसाब रखना,अन्य गतिविधियों में समन्वय एवं एस.जे.वाई. से संबन्धित कोई भी अन्य दिये गए कार्यों को करना होगा ।

5. परिवीक्षा अवधि (शुरुआत के 3 माह की कार्य अवधि) के बाद एम.आर.पी मानदेय का भुगतान करने के लिए एम.आर.पी तथा संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन के साथ वैध एकरारनामा होना अनिवार्य होगा । एकरारनामा की एक प्रति संबन्धित बी.पी.आई.यू. में संधारित किया जाएगा ।

6. एम.आर.पी की नियुक्ति सामुदायिक संगठन (संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन) द्वारा अल्पकालीन अवधि के लिए शर्तानुसार किया गया है अतः एम.आर.पी द्वारा भविष्य में जीविका अथवा संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन के समक्ष नियमित नौकरी/नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

7. संकुल संघ /नोडल ग्राम संगठन निम्नलिखित किसी भी आधार पर एक महीने के नोटिस के साथ एम०आर०पी० की सेवा को समाप्त कर सकता है :-

क. वह सामुदायिक संगठन के मापदंडों और मूल्यों का पालन नहीं कर रहा/रही है एवं सतत् जीविकोपार्जन योजना द्वारा आवंटित कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है ।

ख. एम०आर०पी० का कार्य असंतोषजनक है और लगातार दो माह से लाभार्थी प्रगति प्रतिवेदन एम.आई.एस. पर प्रविष्टि नहीं कर पा रहा/रही है ।

ग. उसने लगातार दो महीनों से आवंटित घरों में 50% से भी कम परिवारों का गृह भ्रमण किया है ।

घ. वह लगातार 15 दिनों से अधिक समय से बी.पी.आई.यू./ संकुल संघ/नोडल ग्राम संगठन को बिना सूचित किए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं अथवा 2 महीनों से अधिक समय से अधिकृत रूप से अनुपस्थित है ।

ङ. वह किसी भी सार्वजनिक पद अथवा चयनित प्रतिनिधि (मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच वार्ड सदस्य/अन्य पद) के पद पर चयनित है ।

च. यदि एम.आर.पी. वित्तीय अनियमितता में शामिल होना साबित होता/होती हैं तो बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी ।

छ. यदि एम.आर.पी. किसी अवैध गतिविधि में लिप्त होना साबित होता/होती हैं तो बिना पूर्व सूचना के उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी ।

ज. वह किसी दो कैडर पद पर लाभ ले रहा/रही है ।

झ. सतत् जीविकोपार्जन योजना की योजना अवधि समाप्त होते ही एम.आर.पी. की सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)
दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष – सचिव / अध्यक्ष
मुहर“ग्राम संगठन/संकुल संघ”

एकरारनामा

यह एकरारनामा आज दिनांक... को ....

जीविका “नोडल ग्राम संगठन / संकुल संघ” ,ग्राम ....

पता...

.... –प्रथम पक्ष

एवं

श्री/श्रीमती..उम्र.....................................

पिता/पति... – द्वितीय पक्ष के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

इस एकरारनामा के तहत “.. जीविका “नोडल ग्राम संगठन / संकुल संघ” के द्वारा श्री/श्रीमती... की सेवाओं को “सतत् जीविकोपार्जन योजना” के तहत लक्षित परिवार एवं सम्बंधित ग्राम संगठन के सेवार्थ/सहायतार्थ पृष्ठ संख्या-1 तथा 2 पर अंकित बिन्दुओं पर .... पदनाम.. के रूप में अंशकालिक तौर पर अनुबंधित किया जाता है।

1. एम.आर.पी. को आवंटित कार्य क्षेत्र (ग्राम स्तर/पंचायत स्तर/संकुल स्तर) से बाहर कार्य निष्पादन हेतु जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता नोडल ग्राम संगठन/संकुल संघ द्वारा देय होगा एवं सहमति के आधार पर एम.आर.पी. सेवाओं को समय-समय पर किसी अन्य ग्राम संगठन/संस्था को हस्तानान्तरण कर सकती है एवं इस के एवज में उचित मानदेय दिया जायेगा।

2. ....“नोडल ग्राम संगठन/संकुल संघ” द्वारा श्री/श्रीमती... की सेवाओं को समय-समय पर मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंध सम्बंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा।

3. यह की श्री/ श्रीमती..., द्वितीय पक्ष ने इस करार को पढ़/पढ़ा कर के अच्छी तरह से समझ लिया है एवं उसके पश्चात ही हस्ताक्षर किया है।

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष – सचिव / अध्यक्ष
मुहर“ग्राम संगठन/संकुल संघ”

गवाह:

1.

2.

संलग्नक: द्वितीय पक्ष का मान्य पहचान पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र